अध्ययन मंडल विषय - मनोविज्ञान की बैठक

अध्ययन मंडल मनोविज्ञान की बैठक दिनांक 11/5/16 को समय 12:00 बजे विश्वविद्यालय के कुलपति कक्ष में आयोजित हुई बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति हुई

1) प्रो. पी.के. राय
प्राध्यापक
डॉ. हरीसिंह गौर वि. वि. सागर

2) प्रो. मीता झा
प्राध्यापक
पं. रविशंकर शुक्ल वि. वि. रायपुर

3) डॉ. तृप्ती बिस्वास
राजीव गांधी शास. स्नातकोत्तर
महाविद्यालय अंबिकापुर (छ.ग.) — Biswas 11/05/16

विशेष आमंत्रित सदस्य एवं
प्रस्तुत कर्ता

4) डॉ. एल. रुपेन्द्र राव
सहायक प्राध्यापक (मनोविज्ञान)
पं सुंदरलाल शर्मा वि. वि.

11/5/16

प्रस्ताव -1 वर्ष 2016-17 में संचालित पी.जी. डिप्लोमा इन गाइडेंस एण्ड काउंसिलिंग पाठ्यक्रम के पाठ्यसामग्री पर विचार किया जाना है।

प्रस्ताव दो - टर्म मोड में पी.जी. डिप्लोमा इन गाइडेंस एण्ड काउंसिलिंग की पाठ्यसामग्री निर्माण करवाने एवं प्रश्न पत्र आमंत्रित किया जाना

प्रस्ताव -3- पी.जी. डिप्लोमा इन गाइडेंस एण्ड काउंसिलिंग

के पंचम प्रश्न पत्र को प्रायोगिक एवं प्रोजेक्ट तथा केस हिस्ट्री के विषय वि. वि. स्तर पर ही विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित करने पर विचार।

निर्णय - 1) सत्र - 2016-17 में वि. वि. द्वारा संचालित पाठ्य पी.जी. डिप्लोमा इन गाइडेंस एण्ड काउन्सलिंग के पाठ्यसामग्री को वर्धमान महावीर (खुला) विश्वविद्या कोटा राजस्थान में संचालित पी.जी.डी.जी.सी. के पाठ् एवं पाठ्यसामग्री को यथावत लेकर पाठ्यक्रम संचालित किया जाए।

2) वर्धमान महावीर (खुला) वि. वि. द्वारा संचालित पी.जी.डी.जी.सी. के पाठ्यक्रम के पांचवे प्रश्नपत्र में वर्णित प्रोजेक्ट वर्क के दो मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक क्षेत्रों में से ~~किसी भी~~ दोनों ही ~~एक~~ क्षेत्रों से संबंधित प्रोजेक्ट करना होगा विषय का चुनाव छात्रों द्वारा ~~किया जा सकता है~~ एवं केस हिस्ट्री वाले भाग को सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से निर्धारित प्रारूप के अनुसार करना होगा।

3) SLM मोड में वि. वि. के लिए पाठ्यसामग्री निर्माण के लिए पिछली बैठक में प्रस्तावित सिलेबस के अनुसार प्रश्न पत्रों के पाठ्यसामग्री निर्माण के लिए विषय विशेषज्ञ को प्रश्न पत्र सिलेबस दिया गया तथा प्रश्न पत्र तृतीय एवं प्रश्न पत्र पंचम हेतु संबंधित विशेषज्ञों से बातचीत कर विषय वस्तु निर्धारित की जाए एवं इसे अध्ययन मंडल से शीघ्र अकादमिक बोर्ड में अनुमोदन कराया जावे।

4) उपरोक्तानुसार हुए निर्णयों को अध्ययन मंडल के अध्यक्ष महोदय को दूरभाष की सूचना दी गई।

11/05/2016

11/8/16

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)

कार्यवाही–विवरण

कार्य परिषद् की 51 वीं बैठक
दिनांक 20/05/2016, दिन शुक्रवार
समय : 12:00 बजे दोपहर
स्थान – मुख्यालय, बिलासपुर

विश्वविद्यालय कार्य परिषद् की 51 वीं बैठक का कार्यवाही–विवरण

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ, बिलासपुर की कार्य परिषद् की 51 वीं बैठक माननीय कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 20/05/2016, दिन शुक्रवार को दोपहर 12:00 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय बिलासपुर में आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही –

1. **डॉ. बंश गोपाल सिंह** – अध्यक्ष
   कुलपति
   पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
   बिलासपुर

2. **प्रो. देबाल कुमार सिंहरॉय** – सदस्य
   आचार्य
   समाजशास्त्र अध्ययन विभाग
   इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय,
   नई दिल्ली
   (कुलपति, इग्नू के द्वारा मनोनीत)

3. **श्री एस.के. चक्रवर्ती** – सदस्य
   संयुक्त सचिव
   छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
   रायपुर (छ.ग.)
   (सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित)

4. **डॉ. एस. के. जाधव** – सदस्य
   प्रोफेसर, जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला
   पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
   रायपुर (छ.ग.)
   (माननीय कुलाधिपति के द्वारा नामांकित सदस्य)

5. **डॉ. बी.एल. गोयल** – सदस्य
   अतिरिक्त संचालक
   उच्च शिक्षा कार्यालय
   बिलासपुर (छ.ग.)
   (सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा मनोनीत)

6. **श्री ओ. पी. सिंघानिया** – सदस्य
   62/6, नेहरू नगर, ईस्ट
   अग्रसेन मार्ग, भिलाई
   जिला–दुर्ग (छ.ग.)
   (माननीय कुलाधिपति के द्वारा नामांकित सदस्य)

7. **डॉ. (श्रीमती) बीना सिंह** — सदस्य
सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर

8. **डॉ. राजकुमार सचदेव** — सचिव
कुलसचिव
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ
बिलासपुर

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके –

1. **उपाध्यक्ष** — सदस्य
सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
नया रायपुर (छ.ग.)

2. **उपाध्यक्ष** — सदस्य
बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
नया रायपुर (छ.ग.)

3. **सचिव** — सदस्य
छ.ग. शासन
खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग
नया रायपुर (छ.ग.)

4. **श्री एस. एल. नायक** — सदस्य
संयुक्त सचिव
छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
नया रायपुर (छ.ग.)
(सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा नामांकित)

5. **डॉ. एस. आर. पटेल** — सदस्य
अधिष्ठाता
ठाकुर छेदीलाल बेरिस्टर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र
बिलासपुर (छ.ग.)
(माननीय कुलाधिपति के द्वारा नामांकित सदस्य)

बैठक के प्रारंभ में माननीय कुलपति जी के द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् प्रस्तुत प्रस्तावों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये –

प्रस्ताव कं 1 विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 49 वीं बैठक के पालन प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् के द्वारा सूचना ग्रहण की गई। कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया गया।

प्रस्ताव कं 2 विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 50 वीं (आपात) बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन एवम् पालन प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् के 50 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया गया।

प्रस्ताव कं 3 परीक्षा एवं गोपनीय विभाग के अवकाश दिवस का अतिरिक्त कार्य भत्ता स्वीकृति पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् के द्वारा चर्चा उपरांत प्रस्ताव Defer किया गया।

प्रस्ताव कं 4 विद्या परिषद् में एक प्रोफेसर, एक रीडर एवं एक सहायक प्राध्यापक के मनोनयन पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् के द्वारा वरिष्ठता के आधार पर डॉ. (श्रीमती) बीना सिंह, सहायक प्राध्यापक (शिक्षा) को विद्या परिषद् में मनोनीत किया गया, साथ ही प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर के पदों में नियुक्तियॉ नहीं होने के कारण मनोनयन नहीं किया जा सका।

प्रस्ताव कं 5 डॉ. सौम्य पल्टा, सहायक प्राध्यापक (मानव संसाधन विकास) के त्यागपत्र की कार्योत्तर स्वीकृति एवम् रिक्त पद पर प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति किये जाने पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् के द्वारा डॉ. सौम्य पल्टा, सहायक प्राध्यापक (मानव संसाधन विकास) के त्यागपत्र को दिनांक 01/04/2016 से स्वीकार किया गया। उक्त विषय एवं पद में प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थी की नियुक्ति के संबंध में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर से लिखित में मार्गदर्शन लिया जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव कं 6 विगत वर्षो के विभिन्न पाठ्यक्रमों के उपाधि/पत्रोपाधि को छात्र– छात्राओं को प्रदान करने पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् के द्वारा निर्णय लिया गया कि पी.–एच.डी. की उपाधि को छोड़कर शेष पाठयक्रमों की उपाधि/पत्रोपाधि को विश्वविद्यालय अध्यादेश

क्रमांक 30 के प्रावधानों के अनुसार छात्र–छात्राओं को उनके उपलब्ध कराये गये पते पर भेज दिया जाये। माननीय कुलाधिपति जी के स्वीकृति पश्चात् ही पी.–एच.डी. उपाधि छात्रों को उनके पते पर प्रेषित किया जाये।

प्रस्ताव क्रं 7 अकादमिक सत्र 2016–17 में ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् के द्वारा विस्तृत चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि अकादमिक वर्ष 2016–17 में ऑन लाईन प्रवेश सर्विस हेतु एम.पी. ऑनलाईन भोपाल से अनुबंध किया जाये तथा आगामी शैक्षणिक सत्र से विश्वविद्यालय स्तर पर ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्रयास किया जाये तथा सर्वर हेतु जरूरी उपाय किया जाये। वन स्टाप पोर्टल निर्माण हेतु चिप्स, रायपुर में जमा राशि को वापस प्राप्त करने का प्रयास किया जाये।

प्रस्ताव क्रं 8 अध्ययन केन्द्र के सहायक समन्वयकों के अभ्यावेदन पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् के द्वारा निर्णय लिया गया कि चूंकि संबंधित सहायक समन्वयकों की सेवायें समाप्त कर दी गई थी, वे तत्सम्य सेवा में नहीं थे, अतः उक्त अवधि की मानदेय भुगतान नहीं किया जाये।

प्रस्ताव क्रं 9 सत्रांत परीक्षा 2016 के लिए परीक्षा केन्द्रों की सूची के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् के द्वारा परीक्षा केन्द्रों की सूची का अनुमोदन किया गया, साथ ही कुलपति जी को अधिकृत किया गया कि आवश्यकतानुरूप उपयुक्त केन्द्रों का चयन/परिवर्तन कर सकेंगें।

प्रस्ताव क्रं 10 स्नातक स्तर की पाठयक्रम म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल से क्रय किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् के द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। क्रय प्रक्रिया में छ.ग. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर को सम्मिलित किया जाये।

प्रस्ताव क्रं11 वर्धमान महावीर कोटा मुक्त विश्वविद्यालय राजस्थान, म.प्र. भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल एवं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी को स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा स्तर की पाठयसामग्री क्रय हेतु क्रयादेश की स्वीकृति पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् के द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव कं 12 अध्ययन केन्द्रों के लिये आलमारी, कुर्सी, टेबल एवं कम्प्यूटर सेट प्रदाय करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् के द्वारा निर्णय लिया गया कि (क) अध्ययन केन्द्र निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए आलमीरा, टेबल तथा चेयर कय कर ले। इस हेतु रू. 13,000/– (तेरह हजार) प्रति केन्द्र स्वीकृत किया गया। (ख) छ. ग. शासन कय नियम के अनुसार खुली निविदा के तहत् कम्प्यूटर, प्रिंटर तथा यू.पी. एस. प्राप्त किये जाने हेतु कार्यवाही की जाये। इस संबंध में सी.एस.आई.डी.सी. से अनापत्ति प्राप्त किया जाये।

प्रस्ताव कं 13 केंटीन, हल्के चार पहिया वाहनों तथा मध्यम श्रेणी के वाहनों के लिये गैरेज, पार्किंग शेड के निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् के द्वारा खुली निविदा के माध्यम से नियमानुसार केंटीन, हल्के चार पहिया वाहनों तथा मध्यम श्रेणी के वाहनों के लिये गैरेज, पार्किंग शेड के निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव कं 14 विश्वविद्यालय शिक्षक को नॉन वेकेशनल माने जाने पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् कें द्वारा प्रस्ताव को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव कं 15 परीक्षा परिणाम प्रोसेसिंग एवं उपाधि/पत्रोपाधि निर्माण कार्य हेतु गोपनीय पद्वति से फर्म का निर्धारण किये जाने पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् के द्वारा निर्णय लिया गया कि परीक्षा परिणाम प्रोसेसिंग एवं उपाधि/पत्रोपाधि निर्माण कार्य हेतु खुली निविदा के माध्यम से कार्य सपांदित किया जाये।

प्रस्ताव कं 16 विद्या परिषद् की 19 वीं बैठक दिनांक 16/05/2016 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् के द्वारा कार्यवाही विवरण के अद्यतन विचार किया गया। चर्चा के दौरान विद्या परिषद् के सम्मानीय सदस्य श्री रमेश नैयर के ई–मेल दिनांक 16/05/2016 को भी सभी सदस्यों के समक्ष विचार हेतु रखा गया।

चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि पत्रकारिता एवं जनसंचार आदि के डिप्लोमा पाठयक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व कुशाभाउ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर के प्रावधानों को भी ध्यान में रखा जाय।

यह भी निर्णय लिया गया कि सभी पाठयक्रमों में T.E.E. वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से परीक्षा पद्वति के संबंध में शिक्षको एवं छात्रों से फीडबैक भी लिया जाये।

विद्या परिषद् के प्रस्ताव क्रमांक 04 में यह भी निर्णय लिया गया कि नये छात्रों के प्रवेश पर अध्ययन केन्द्र के समन्वयक/सहायक समन्वयक/सहायक को प्रति छात्र रू. 50/– (पचास) अग्रेषण शुल्क के रूप में देय होगा।

विद्या परिषद् के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से –

प्रस्ताव क्रमांक 17 मनोविज्ञान विषय के अध्ययन मंडल के कार्यवाही विवरण पर विचार।

निर्णय : कार्यपरिषद् के द्वारा मनोविज्ञान विषय के अध्ययन मंडल के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्रमांक 18 कार्यपरिषद् की 49 वीं बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 04 में लिये गये निर्णय (कार्यालयीन कार्यो के लिए अवकाश दिवस में किये गये कार्य हेतु अतिरिक्त कार्य भत्ता संबंधी विश्वविद्यालय)को दिनांक 01/12/2015 से लागू किये जाने पर विचार।

निर्णय :– प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

बैठक के अंत में अध्यक्ष के प्रति आभार प्रगट करते हुये बैठक समाप्त की गई।

(राजकुमार सचदेव)
कुलसचिव/सचिव

(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष